उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग)

क्रमांक 45/अधोविक/बी–2/2021/6016. भोपाल, दिनांक 31.12.2021.

औद्योगिक भूखण्डों के ई–नीलामी से आवंटन हेतु आवेदनों का आमंत्रण

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र.शासन द्वारा रतलाम, उज्जैन एवं विदिशा जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध औद्योगिक भूखण्डों को ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना है जिसकी प्रक्रिया दिनांक 05.01.2022 से https://mptenders.gov.in/ पोर्टल पर प्रारंभ होगी।

भूखण्ड हेतु ई–नीलामी की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैः–

1. भूखण्डों का आवंटन "मध्यप्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021" के तहत किया जायेगा।
2. प्रत्येक भूखण्ड हेतु आवेदन शुल्क रूपये 5000/– होगा एवं जीएसटी राशि पृथक से देय होगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है [(नियम 11 (i)]
3. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आवेदित भूमि हेतु आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 25 प्रतिशत अग्रिम राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी जो आवंटन के समय समायोजन योग्य होगी।[(नियम 11 (1) (iv)]
4. नीलामी के लिये बेस प्राइस भूखण्ड की प्रब्याजी तथा विकास शुल्क का योग होगा [(नियम 12 (i) (अ) (i) (1)]
5. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु Class 3 Digital Signature होना आवश्यक है। नियम, प्रक्रिया एवं भूखण्डों आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट mpmsme.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

31.12.21
सहायक संचालक,
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

A-P 2021